एम. एम. पुंछी और के. एस. तिवाना से पहले, जे. जे.

पूरन,-याचिकाकर्ता।

बनाम

कापोरा और अन्य,-उत्तरदाता।

क्रिमिनल माइस।1978 का **सं. *4469-एम।***

30 सितंबर, 1980।

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का 11)-खंड* 145 *और* 146-अचल *संपत्ति के बारे में विवाद-खंड 145 के तहत शुरू की* गई *कार्यवाही और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रारंभिक आदेश।खंड 145 के तहत संपत्ति की कुर्की का निर्देश-खंड* 145 *के तहत कार्यवाही-क्या इस तरह की कुर्की के बाद भी जारी रह सकती है-कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा-क्या मजिस्ट्रेट द्वारा खंड 145 (4) के तहत हकदार पाए जाने वाले पक्ष को उसे कुर्की से मुक्त करने के बाद दिया जा सकता है।

अभिनिर्धारित **किया गया कि जब कोई मजिस्ट्रेट मामले को आपात स्थिति का मामला मानते हुए संपत्ति को कुर्क करता है, तो वह इसके बाद इस सवाल पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है कि क्या प्रारंभिक आदेश की तारीख को किसी और किस पक्ष के पास विवाद का विषय है और यदि वह यह निर्णय लेता है कि एक या दूसरे पक्ष के पास ऐसा अधिकार था, तो उसे कुर्क की गई संपत्ति को उसके पक्ष में छोड़ देना चाहिए।जैसे ही आपातकाल के आधार पर कुर्की की जाती है, मजिस्ट्रेट की अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होती है और यह कि एक मजिस्ट्रेट के पास उस मामले में आगे की अधिकार क्षेत्र होती है जो सिविल को नहीं दी जाती है, केवल आकस्मिकताओं के दूसरे समूह में होता है जब वह निर्णय लेता है कि कोई भी पक्ष प्रारंभिक आदेश की तारीख को कब्जे में नहीं था या यदि वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उनमें से किसके कब्जे में विवाद का विषय था, तो वह न केवल विवाद के विषय को संलग्न कर सकता है, बल्कि आपातकाल के मामले में पहले किए गए कुर्की को प्रभावी बना सकता है जब तक कि एक सक्षम अदालत उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर लेती है।(पैरा 5 &12).**

***मो. मुसलेहुद्दीन और एक* अन्य *बनाम मो.* सलाहुद्दीन, 1976 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1150।**

***दंडपाणि पाला और अन्य* बनाम *मदन मोहन पाला और अन्य* 1976 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2014।'**
***विश्वेश्वरक पटनायक* बनाम *राहस बिहारी नाइक,* 1977 क्रिमिनल लॉ जर्नल (एनओसी) 232।**
***हरि चौधरी और अन्य* बनाम *राम लखन तिवारी और अन्य* 1977 आपराधिक कानून जर्नल (एनओसी) 254।'**

मानसुख राम बनाम *राज्य और दूसरा,* 1977 क्रिमिनल लॉ जर्नल,563.

चंडी प्रसाद और अन्य बनाम *ओम प्रकाश कनोडिया और अन्य*ए 1976 क्रिमिनल लॉ जर्नल 209।

हकीम सिंह और अन्य बनाम *गिरवर सिंह और अन्य,* 1976 निमिनल लॉ जर्नल 1915।

से अलग किया गया।

माननीय न्यायाधीश एम. एम. पुंछी द्वारा 28 जुलाई, 1980 को मामले *में* शामिल *कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा गया मामला।माननीय न्यायाधीश श्री के. एस. तिवाना और माननीय न्यायाधीश श्री एम*ए *एम*ए *पुंछी की बड़ी पीठ ने अंततः 30 सितंबर*ए *1980 को गुण.दोष के आधार पर मामले का* फैसला सुनाया।

दंड प्रक्रिया संहिता की *खंड 401 के* साथ *पठित खंड 482 के तहत याचिका। पी. सी. ने प्रार्थना की कि याचिका की अनुमति दी जाए और आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/2 और* पी/3 *और 31 जुलाई, 1978 को पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए और खंड 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को* भी रद्द *कर दिया जाए और आगे प्रार्थना की जाए कि इस याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान*ए *कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए और 31 जुलाई, 1978 के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से *अधिवक्ता सी. बी. गोयल।*

प्रतिवादीओं की ओर *से अशोक कुमार, अधिवक्ता*

न्याय

एम. एम. पुंछी, जे.

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद संहिता कहा गया है) की खंड 482 और 401 के तहत इस समग्र याचिका में जो प्रश्न निर्धारण की मांग करता हैए वह यह है कि क्या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिसने संहिता की खंड 146 के तहत संपत्ति को कुर्की के तहत रखा हैए वह उस पक्ष के पक्ष में कुर्की उठा सकता है और कब्जा छोड़ सकता है जिसे वह संहिता की खंड 145 (1) के तहत प्रारंभिक आदेश की तारीख को खंड 145 (4) के तहत कब्जे में पाता है।

(2) मामले के तथ्यों को जब संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, तो पता चलता है कि कुरुक्षेत्र जिले की कैथल तहसील के मानस गांव में स्थित 26 कनई 8 मरला की कृषि भूमि का एक टुकड़ा पूरन और अन्य लोगों के बीच विवाद का कारण बन गया, जिन्हें पहले पक्ष के रूप में जाना जाता है।

और कपूर और अन्य दूसरे पक्ष के रूप में जाने जाते हैं।सदर कैथल थानाधिकारी ने 17 अप्रैल, 1978 को बताया कि दोनों पक्षों के बीच उक्त भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद था, जिससे शांति भंग होने की संभावना थी, विशेष रूप से जब उस पर खड़ी फसलें कटाई के लिए पके हुए थे।पुलिस ने यह भी अनुरोध किया कि जब तक किसी भी पक्ष के कब्जे का फैसला नहीं हो जाताए तब तक भूमि और खड़ी फसलों को कुर्क किया जाए।कलंद्र के नाम से जानी जाने वाली यह रिपोर्ट याचिका का संलग्नक पी 1 है।उस रिपोर्ट पर, उप.मंडल मजिस्ट्रेट, कैथल ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया और 27 अप्रैल, 1978 (अनुलग्नक पी. 2) को एक प्रारंभिक आदेश पारित करके संहिता की खंड 145 के तहत कार्यवाही शुरू की।पुलिस कालांद्रा से सहमति जताते हुए, उन्होंने इसे विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के रूप में मंजूरी दिए बिना, जमीन और उस पर खड़ी गेहूं की फसल को कुर्क करना आवश्यक समझाए और शिकायत के अंतिम निर्णय तक इसे तहसीलदार, कैथल को प्राप्तकर्ता के रूप में सौंप दिया।परिणामी आदेश ;अनुलग्नक पी. 3) स्टेशन हाउस अधिकारी को तब तक कुर्की करने के लिए सूचित किया गया था जब तक कि एक सक्षम अदालत का डिक्री या आदेश पक्षों के अधिकार का निर्धारण नहीं करता है और इसे तहसीलदारए कैथल के कब्जे में सौंप देता है, जो प्राप्तकर्ता था।पक्षकारों को नोटिस जारी करने परए वे अपने.अपने लिखित बयान देते हैं और प्रत्येक पक्षकार अपना.अपना दावा करता है कि वह विवाद के विषय के वास्तविक कब्जे में था।इसके बाद उप.मंडल मजिस्ट्रेट ने संहिता की खंड 146 की उप.खंड (4) के तहत जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस दिन संहिता की खंड 145 के तहत प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था, उस दिन दूसरा पक्ष, यानी कपूर और अन्य, विवादित भूमि के भौतिक कब्जे में थे।वह आदेश 31 जुलाई, 1978 का हैए जिसमें कोई संलग्नक नहीं है, लेकिन इसे संलग्नक पी. 4 कहा जा सकता है।इन सभी आदेशों को इस याचिका में चुनौती दी गई है।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने आदेश, अनुलगनक पी ण 1 से पी 3, पर इस आधार पर हमला किया कि संहिता की धारा 145 के तहत प्रारंभिक आदेश सब डीविजनल मजिस्ट्रेट के संतुष्ट होने के आधर से रहित था कि भूमि पर विवाद था या अनुलग्नक पी. 1 से पी. 3 तकए इस आधार पर कि द्ध संहिता की खंड 145 के तहत प्रारंभिक आदेश उप.मंडल मजिस्ट्रेट के इस आधार से रहित था कि भूमि पर विवाद था जिससे शांति भंग होने की संभावना थी (अनुलग्नक पी. 2) और यह कि कुर्की आदेश संहिता की खंड 146 के प्रावधानों का भंग था क्योंकि उप.मंडल मजिस्ट्रेट ने खुद को संतुष्ट करने में असमर्थता व्यक्त की थी कि दोनों पक्षों में से कौन सा प्रारंभिक चरण में साक्ष्य में गए बिना वास्तविक कब्जे में था (अनुलग्नक पी. 3) i यह भी चुनौती दी गई थी कि दोनों में से कोई भी नहीं

संलग्नक पी. 2 और न ही संलग्नक पी. 3 में उन्होंने यह निर्दिष्ट किया कि मामला एक आकस्मिक प्रकृति का था जिसमें भूमि और फसलों को जोड़ने की आवश्यकता थी।इसके अतिरिक्त, यह तर्क *दिया* गया था कि संलग्नक पी. 3 के माध्यम से, कब्जा प्राप्तकर्ता को उसके धारण करने के लिए तब तक सौंप दिया गया था जब तक कि मामले का निर्णय एक अदालत की डिक्री या आदेश द्वारा नहीं किया जाता था, जिसका अर्थ है कि एक दीवानी अदालतए और फिर भी अंतिम आदेश में उसने कब्जा दूसरे पक्ष को सौंपने का आदेश दिया था।अब, याचिकाकर्ता के लिए कार्यवाही में भाग लेने और अंतिम आदेश ;अनुलग्नक पी. 4) का सामना करने के बाद प्रारंभिक आदेश या परिणामी कुर्की आदेश (जो फॉर्म 26 के संशोधित शब्दों में है) पर सवाल उठाने में बहुत देर हो चुकी है।याचिकाकर्ता इस उम्मीद पर बाड़ पर बैठा कि अंतिम निर्णय उनके पक्ष में जाएगा।प्रारंभिक या कुर्की आदेश में किसी भी सुझाए गए त्रुटि या अनियमितता को अंतिम आदेश पारित होने पर ठीक, उलट या बदला नहीं जा सकता हैए जब तक कि न्यायाधीशालय को यह नहीं दिखाया जा सकता है कि न्यायाधीश की विफलता वास्तव में इसके कारण हुई है।यह संहिता की खंड 465 का अधिदेश है।न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि क्या आपत्ति कार्यवाही के शुरुआती चरण में उठाई जा सकती थी और होनी चाहिए थी।याचिकाकर्ता के पास कार्यवाही के प्रारंभिक चरणों में आर्मेक्सर्स पी. 2 और पी. 3 में निहित आदेशों की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाने का पर्याप्त अवसर था।अंतिम आदेश का सामना करने के बाद, यदि यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादित आदेशों में किसी भी सुझाए गए त्रुटि या अनियमितता के कारण न्यायाधीश की विफलता हुई है।

विद्वान अधिवक्ता की अगली चुनौती अंतिम आदेश, संलग्नक पी. 4 के लिए थी।यह तर्क दिया गया था कि जब उप.मंडल मजिस्ट्रेट ने विवाद में संपत्ति को कुर्क किया था, तो उनके पास संहिता की खंड 145 की उप.खंड (4) के तहत जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और उन्हें दीवानी अदालत को कब्जे के सवाल का फैसला करने देने के लिए अपने हाथों को रोकने की आवश्यकता थी।यह आगे तर्क दिया गया कि भले ही उसने एक जांच की हो और निष्कर्ष पर आया होए वह विवादित भूमि के कब्जे को दूसरे पक्ष को देने का *आदेश* नहीं दे सकता था-अनुलग्नक पी. 2 और पी. 3 के अनुसार, प्राप्तकर्ता को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय की डिक्री या आदेश तक संपत्ति रखने का आदेश दिया गया था।यह तर्क संहिता की खंड 146 के प्रावधानों पर आधारित था जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः—

> "146. (1) यदि मजिस्ट्रेट खंड 245 की उप.खंड (1) के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय

आपात स्थिति होने का मामला, या यदि वह यह निर्णय लेता है कि तब किसी भी पक्ष के पास ऐसा अधिकार नहीं था जैसा कि खंड 145 में निर्दिष्ट किया गया हैए या यदि वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उनमें से कौन विवाद के विषय के ऐसे कब्जे में था, तो वह विवाद के विषय को तब तक संलग्न कर सकता है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर लेता हैः

बशर्ते कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अब विवाद के विषय के संबंध में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है,

(2) जब मजिस्ट्रेट विवाद के विषय को संलग्न करता हैए तो वहए यदि किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के ऐसे विषय के संबंध में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, तो ऐसी व्यवस्था कर सकता है जो वह संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है या यदि वह उचित समझता है, तो उसका रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908* के तहत नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियां होंगीः

बशर्ते कि किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के विषय के संबंध में बाद में किसी रिसीवर की नियुक्ति की स्थिति में, मजिस्ट्रेट .

(a) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद के विषय का कब्जा सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंप दे और उसके बाद उसके द्वारा नियुक्त रिसीवर को डिस्चार्ज कर दे।

(b) ऐसे अन्य आनुषंगिक या परिणामी आदेश दे सकते हैं जो न्यायसंगत हों।"

रिलायंस को मोहम्मद पर *रखा गया था। मुसलेहुद्दीन* और *एक अन्य* बनाम *मो. सलाहुद्दीन (1), दंडपाणि* पाला *और अन्य बनाम मदन मोहन* पाला *और अन्य* (2), *विश्वेश्वरक पटनायक बनाम* राहस बिहारी नाइक (3),

154

हरि चौधरी और अन्य बनाम *राम, लखन तिवारी और एक* अन्य *(4) और मनसुख* राम *बनाम राज्य और एक* अन्य (5) ने तर्क दिया कि कुर्की के बाद मजिस्ट्रेट को मामले में आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।उपरोक्त निर्णय विभिन्न उच्च न्यायालयों के हैं लेकिन उनमें से कोई भी इस न्यायालय का नहीं है।

(4) (*मानसुख राम* के मामले में) आर (सुप्रा) सी जो कि नवीनतम

है!.राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कल्याण दत्ता ने निम्नलिखित टिप्पणी कीःकृ

> भआपात स्थिति के आधार पर खंड 145 (1) के तहत कुर्की का आदेश दिए जाने के बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 145 (1) के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है।विवाद के विषय को कुर्क करने के बाद, खंड 145 की उप.खंड (4) नई दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा विचार किए गए कब्जे के प्रश्न की उचित जांच का कोई उपयोग नहीं हैए क्योंकि कुर्की अंतिम आदेश के बाद भी बनी रहेगी जो अंततः कब्जे के प्रश्न की ऐसी जांच के बाद पारित की जा सकती है और उप.मंडल मजिस्ट्रेट के पास सफल पक्ष को कब्जा में बहाल करने की कोई शक्ति नहीं होगी।इसलिएए उप.मंडल मजिस्ट्रेट को आपातकाल के आधार पर विवाद के विषय को एक बार संलग्न करने के बाद, नई दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 145 के तहत आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, सिवाय यह पता लगाने के कि क्या कोई विवाद है या क्या अब विवाद के विषय के संबंध में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उस मामले में वह किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है।"

दंडपाणि *पाल के मामले* (ऊपर) में, उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

> "धारा 146 तीन आकस्मिकताओं पर विचार करती है जिसमें संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जा सकता है।संसद ने पहली आकस्मिकता की बराबरी की है, अर्थात्, प्रारंभिक आदेश पारित करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि यह आपातकाल का मामला है, तो
>
> (5) 1977 सीआरएल। लॉ जर्नल (एनओसी) 254 (पटना)।
>
> (6) 1977 सीआरएल। लॉ जर्नल 563।
>
> अन्य दो आकस्मिकताएँ जो जाँच पूरी होने के बाद ही उत्पन्न हो सकती हैं।खंड 145 के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है।आपराधिक न्यायालय के समक्ष विवाद समाप्त हो जाता है और कौन सा पक्ष कब्जे का हकदार है, यह सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।"

में *एम. पटना उच्च* न्यायालय की एकल पीठ ने मुसलेहुद्दीन के मामले (ऊपर;) में कहा कि .

> "मजिस्ट्रेट प्रतिभूति 145 (1) के परंतुक के तहत कुर्की केवल तभी वापस

ले सकता है जब वह संतुष्ट हो कि विवाद के विषय के संबंध में कोई संभावना या भंग या शांति नहीं है, ऐसे मामले में खंड 145 की कार्यवाही को स्वयं ही छोड़ना होगा और यह तय करने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा कि प्रासंगिक धुन पर किस पक्ष के कब्जे में था।कुर्की के बाद संपत्ति कास्टुडिया लेम्स बन जाती *है और* इसलिए, संहिता में ऐसी व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है जो संपत्ति की देखभाल करने या उसके प्राप्तकर्ता को नियुक्त करने के लिए आवश्यक और उचित हो।यदि मजिस्ट्रेट खंड 146 के तहत संपत्ति को कानूनी रूप से कुर्क कर सकता है, तो वह कब्जे के सवाल का फैसला करने के लिए खंड 146 के तहत कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है।"

हरि *चौधरी के मामले* (ऊपर) में, पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले का एक मुख्य ध्यान दें नीचे दिया गया है।-'—<

"दंड प्रक्रिया संहिता (1974), धारा 146 (1) और 145 (4)-दायरा. आपातकाल के आधार पर संलग्नक।मजिस्ट्रेट को कार्यवाही पर रोक लगानी होती है और वह खंड 145 (4) के तहत जांच करने के लिए सक्षम नहीं है कि संपत्ति के वास्तविक कब्जे में कौन है.मजिस्ट्रेट को सक्षम दीवानी अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करनी होती है।"

बिश्वेश्वर *पटनायक के मामले* (ऊपर) मेंए उड़ीसा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले से तैयार एक मुख्य ध्यान दें इस प्रकार हैः—

"दंड प्रक्रिया संहिता (1974), धारा 146 (1)-मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति की कुर्की.मजिस्ट्रेट को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किस पक्ष के कब्जे में था

और कुर्की को खाली करने के लिए पक्षकार सिविल न्यायालय में उपचार की मांग करेंगे।"

(5) सरदार *लाल बनाम पंजाब राज्य (6) के* मामले मेंए मैं पूर्व उद्धृत पूर्व निर्णय से अनजान हूं, मैंने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मजिस्ट्रेट मामले को आपातकाल का मामला मानते हुए संपत्ति को कुर्क करता हैए तो वह इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए बाध्य है कि क्या प्रारंभिक आदेश की तारीख को किसी और किस पक्ष के पास विवाद का विषय है और यदि वह यह निर्णय लेता है कि एक या दूसरे पक्ष के पास ऐसा अधिकार हैए तो उसे कुर्क की गई संपत्ति को उसके पक्ष में छोड़ देना चाहिए।यह केवल आकस्मिकताओं के दूसरे समूह में है, जब वह यह निर्णय लेता है कि प्रारंभिक आदेश की तारीख को किसी भी पक्ष के कब्जे में नहीं था या यदि वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उनमें से किसके कब्जे में विवाद का विषय थाए तो वह न केवल विवाद के विषय को संलग्न कर सकता हैए बल्कि आपातकाल की स्थिति में पहले किए गए कुर्की को तब तक प्रभावी रख सकता है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर लेता है।मेरा उक्त विचार विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के विपरीत होने का सुझाव दिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

(6) अब यह देखा जा सकता है कि संहिता की धारा 145 और 146 अचल संपत्ति के विवाद से संबंधित अध्याय 10 के उपशीर्ष 'डी' में आती हैं।पुरानी संहिता 1898 की धारा 145 और धारा 146 के प्रतिस्थापन में 1973 की नई संहिता में इन दो धाराओं को शामिल करके) परिवर्तन किए गए हैं।यह उल्लेखनीय है कि पुरानी संहिता की खंड 145 (4) तीसरे परंतुक के तहत, यदि मजिस्ट्रेट मामले को आपातकाल मानता है, तो वह उस खंड के तहत अपना निर्णय लंबित रहने तक विवाद के विषय को संलग्न कर सकता है।पुरानी संहिता की खंड 146 के तहत, 1 यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि तब कोई भी पक्ष इस तरह के कब्जे में नहीं था या यह तय करने में असमर्थ था कि उनमें से कौन विवाद के विषय के कब्जे में था, तो वह इसे संलग्न कर सकता है, यदि पहले से ही संलग्न नहीं है, और मामले के तथ्यों का एक बयान तैयार कर सकता है और कार्यवाही का रिकॉर्ड सक्षम अधिकार क्षेत्र के एक दीवानी न्यायालय को भेज सकता है ताकि यह तय किया जा सके कि प्रारंभिक आदेश की तारीख पर विवाद के विषय पर किसी भी पक्ष के कब्जे में था या नहीं; और उसे पक्षकारों को दीवानी अदालत के समक्ष तय दिनांक पर पेश होने का निर्देश देने की आवश्यकता थी।

(6)क्र. एम. 1900 एम/80,9 मई, 1980 को तय किया गया।

, नई संहिता में, मजिस्ट्रेट की मामले को सिविल कोर्ट में फिर से दायर करने की शक्ति को वापस ले लिया गया है।पुरानी संहिता की खंड 14बी ;एल. बी.) के तहत सिविल कोर्ट को मजिस्ट्रेट को एक रिकॉर्ड के साथ अपनी कार्यवाही प्रेषित करने की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा संदर्भ दिया गया था और मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट के फैसले के अनुरूप खंड 145 के तहत कार्यवाही का निपटान करने के लिए बाध्य था, लेकिन नई संहिता में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब नई संहिता एक मजिस्ट्रेट के लिए अचल संपत्ति के कब्जे के विवाद पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को संरक्षित करती है; चाहे वह कुर्की की आवश्यकता वाली आपात स्थिति का मामला हो या उस तरह की कोई आपात स्थिति शामिल न हो।खंड 145 की उप.खंड (4) मजिस्ट्रेट से "यदि संभव हो" यह तय करने की अपेक्षा करती है कि विवाद का विषय किसी पक्ष के कब्जे में था या नहीं।संसद ने अपने विवेक में दोनों स्थितियों की कल्पना की है; कि एक मजिस्ट्रेट के लिए प्रश्न का निर्णय करना संभव हो सकता है और यह भी कि यह इतना संभव नहीं हो सकता है।मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 145 (4) और धारा 146 (1) का संयुक्त पठन और विशेष रूप से अभिव्यक्ति "या यदि वह निर्णय लेता है कि कोई भी पक्ष या यदि वह संतुष्ट करने में असमर्थ है"
बाद वाला खंड इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि केवल अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में ही वह इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि उसके लिए यह निर्णय लेना संभव है कि .
पार्टी का कौन सा हिस्सा कब्जे में था, या वह चुनता है
यह तय करें कि उनके लिए यह मानना संभव नहीं था कि कोई भी पक्ष या वह अन्यथा खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ था कि उनमें से किसके पास ऐसा अधिकार था।अचल संपत्ति से संबंधित विवाद जो मजिस्ट्रेट तय और निष्कर्ष निकाल सकता था, क्या कोई और कौन सा पक्ष विवाद के विषय के कब्जे में प्रारंभिक आदेश की तारीख को था, आपातकाल के मामले में भूमि को कुर्क किए जाने के बावजूद उसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा।उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों द्वारा उपरोक्त निर्णयों में व्यक्त किए गए विचारों के प्रति उचित सम्मान के साथ, मुझे उनके विचारों को स्वीकार करने में असमर्थता पर खेद है।मुझे नई संहिता में निर्धारित वैधानिक प्रपत्र संख्या 26 द्वारा और मजबूत किया गया है जो खंड 146 से संबंधित है जो निम्नलिखित शब्दों में हैः—

टी टी .
एण२ णएए णणणणणणणणएणव '

158 "जबकि यह मुझे दिखाई दिया है कि एक विवाद जिसमें शांति का भंग शामिल होने की संभावना है (नाम और निवास, या निवास से संबंधित पक्षों का वर्णन करें)
केवल अगर विवाद ग्रामीणों के निकायों के बीच हो) कुछ संपत्ति के

संबंध में संक्षिप्त रूप से विषय मेरे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित है और उक्त पक्षों को लिखित रूप में अपने.अपने दावों को वास्तविक कब्जे के तथ्य के रूप में बताने के लिए कहा गया था (विवाद का विषय नहीं), और जबकि, *उक्त दावों की क्यू जांच पर, यह माना गया है कि उक्त पक्षों में से किसी का भी अधिकार नहीं था, (विवाद का विषय) (या मैं बिना किसी कारण के स्वतंत्र हूं) कि उपरोक्त पक्षों के कब्जे में था) (जोर दिया गया)।*

आई।
एक्स.ऋ .

•'यह आपको अधिकृत करने के लिए है और आपसे यह अपेक्षा करने के लिए है कि आप उक्त (उस पर कब्जा करने का विषय) को संलग्न करें और इसे तब तक कुर्की के तहत रखें जब तक कि पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करने वाले एक सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश या कब्जे का दावा प्राप्त नहीं हो जाता हैए और इस वारंट को उसके निष्पादन के तरीके को प्रमाणित करने वाले समर्थन के साथ वापस करने के लिए।

(7) यह वैधानिक रुप में जोर दी गई भाषा से स्पष्ट है कि उक्त दावों की जांच स्पष्ट रुप से एक होगी जैसे कि धारा 145 की उपधारा (4) के तहत विचार किया गया है इस बात पर जोर दिया गया है कि उस्ताटू के रूप में 1 पाउंड है कि यह साइया के दावों की उचित जांच के बाद ही है कि एक मजिस्ट्रेट एक गैर.आपातकालीन मामले में विवाद के विषय में कुर्की को अधिकृत कर सकता है।एना एयू जांच ने कहा कि दावे स्पष्ट रूप से एक जांच होगी जैसा कि खंड 5 की उप.खंड (4) के तहत विचार किया गया है।इस प्रकार यह *प्रतीत होता है* कि दंडपाणि पाल के मामले में उड़ीसा के वरिष्ठ न्यायालय द्वारा देखी गई पहली आकस्मिकता में आकस्मिक संलग्नक (सुप्रज एक अलग वर्ग है और जब तक मजिस्ट्रेट कब्जे के प्रश्न का निर्धारण नहीं कर सकता है, और यदि वह ऐसा निर्धारित नहीं कर सकता हैए तब तक जारी रहना हैए जब तक कि एक सक्षम न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय नहीं लिया जाता है।बाद की दो आकस्मिकताएँ चरित्र प्राप्त करती हैं जब *मजिस्ट्रेट कब्जे* के प्रश्न को निर्धारित करने में अपनी असमर्थता के कारण विवाद के विषय को नए सिरे से जोड़ना चाहता है।दोनों स्थितियों में संपत्ति कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाती है और इसे इस तरह रखा जाना चाहिए, लेकिन खंड 146 की उप.खंड (2) के तहत परिकल्पित सिविल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम या अंतिम आदेशों के अधीनय एकमात्र अपवाद संहिता की खंड 146 (1) के परंतुक में आने वाला है जब मजिस्ट्रेट यह मानता है कि अब शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है और यह कि कुर्की वापस ली जा सकती है।इसके विपरीत लिया गया दृष्टिकोण धारा 145 और 146 के उद्देश्य को ही स्पष्ट करेगा।द.

एक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ तब एक बाज की सनक के सदृश होंगी जो एक झपट्टा मारकर पक्षों की संपत्ति छीन सकता है और उन्हें वंचित कर सकता है और एक दीवानी न्यायालय के समक्ष उनके दावों का फैसला लेने के लिए उन्हें पानी में फेंक सकता है; प्रत्येक पक्ष दूसरे के अभियोक्ता होने की प्रतीक्षा कर रहा है और यह अच्छी तरह से हो सकता है कि कोई भी कभी भी प्रवेश न करे और अगर कोई ऐसा करता है तो दीवानी न्यायालय में कितने समय तक रहना होगा।इस तरह के गतिरोध की कल्पना कानून निर्माताओं द्वारा नहीं की जाएगी।उपर्युक्त दो खंडओं का सामंजस्यपूर्ण निर्माण केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसमें यह लिखा हो कि इस प्रश्न का निर्णय करने की शक्ति कि खंड 145 की उप.खंड (4) के तहत विवाद के विषय पर किस पक्ष के कब्जे में था, मजिस्ट्रेट की अधिकार क्षेत्र के भीतर बनी रहती है, भले ही उसने मामले को विवाद के विषय को जोड़ने वाले आपातकालीन मामलों में से एक माना हो।

(8) उपरोक्त चर्चा विचारों के टकराव का प्रतीक है।चर्चा किए गए प्रश्न दूरगामी महत्व के हैं और उनके त्वरित उत्तर दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 145 के तहत आने वाले मामलों से निपटने वाले कार्यकारी न्यायालयों के लिए कानून और दिशानिर्देशों को निपटाने के लिए आवश्यक होंगे।इन प्रश्नों का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाए और साथ ही मामले को भी।उद्देश्यपूर्ण आदेशों के लिए मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश के सामने कागजात रखें।

एम. एम. *पुंछी, जे.*

(9) मैंने इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास *भेजा* था.अपने 28 जुलाई, 1980 के आदेश के अनुसार, जिसमें मैंने कानून के ऐसे प्रश्न उठाए थे जो मुझे दूरगामी महत्व के प्रतीत होते हैं।माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहतए मामले को एक खण्ड पीठ के समक्ष रखा गया हैए जिसका मैं सदस्य हूंए और मुझे खण्ड पीठ का निर्णय लिखने का अवसर मिला है।

(10) याचिका को जन्म देने वाले तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है और इसे निर्देश आदेश से लिया जा सकता है।एकल पीठ में मेरे समक्ष किए गए आदेशों को चुनौती देने वाले अनुलग्नक पी. 1 से पी.3

को यहां हमारे समक्ष दोहराया नहीं गया है और इस प्रकार संदर्भित आदेश में इस तरह से मिली चुनौती को इस आदेश द्वारा पूरा किया गया माना जाना चाहिए।प्राथमिक और एकमात्र सवाल जिस पर विचार किया जाना बाकी हैए वह यह है कि क्या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 146 *के तहत* संपत्ति को कुर्की के तहत रखा हैए कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है और यह निर्धारित करने के लिए कि किस पक्ष के कब्जे में था, खंड 145 (4) के तहत जांच के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है।

खंड 145 (1) के तहत प्रारंभिक आदेश की तारीख को विवाद में विषय और इसके परिणामस्वरूप कुर्की हटाएं और सफल पक्ष के पक्ष में संपत्ति का कब्जा जारी करें।

. आ□. □□. 1978 □□. □□. 333

(11) मैंने यह भी माना था कि आपातकाल की स्थिति के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के तहत संपत्ति को कुर्क करने वाले मजिस्ट्रेट, इस सवाल का फैसला करने के लिए बाध्य थे कि क्या प्रारंभिक आदेश की तारीख को किसी और किस पक्ष के पास विवाद का विषय था और यदि वह उस प्रश्न का निर्णय ले सकता है, तो उसे संलग्न संपत्ति को सफल पक्ष के पक्ष में जारी करना होगा।इस संबंध में देखें *सरदार लाई* बनाम *पंजाब राज्य, (ऊपर)* जो मैंने तय किया था।इसके विपरीत दृष्टिकोण एम. डी. *में लिया गया। मुसलेहुद्दीन* और *एक अन्य* बनाम *मो. सलाहुद्दीन, (ऊपर), दंडपाणि पाला* और *अन्य बनाम मदन मोहन पाला* और *अन्य, (ऊपर),* विश्वेश्वरक *पट्टमक बनाम राहस* बिहारी नाइक, (ऊपर *I), हरि चौधरी और* अन्य *बनाम राम लखन टिवो।री और* अन्य, (ऊपर 1), और *मनसुख राम* बनाम *राज्य और द्वसरा, (ऊपर* 1), मेरे दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह करते हैं।लेकिन अब मेरे विद्वान भाई जे. के. एस. तिवाना ;जो पीठ के सदस्य के रूप में मेरे साथ हैं) ने सतगुरु जगजीत सिंह आदि बनाम जीत कौर आदि *की ओर मेरा ध्यान* आकर्षित *किया है। (7),* जिन्होंने वह दृष्टिकोण अपनाया जो संदर्भ आदेश में मेरे द्वारा व्यक्त किए गए अस्थायी दृष्टिकोण पर अच्छी तरह से आरोपित किया जा सकता है।मेरे विद्वान भाई को विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के लिए पूर्व संदर्भित को दरकिनार करने का लाभ मिलाए जिसके साथ मुझे न केवल उनके अपने तर्क से बल्कि चंदू नाइक और *अन्य बनाम सीताराम बी॰* नाइक *और एक अन्य (8) में* आने वाली टिप्पणियों और बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के गजितान ए. *डी. सूजा और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (9) में आने* वाले विचारों से भी सामना करना पड़ा।सवालिया तौर पर हमारे विचार।वे राम *अधीन बनाम* श्यामा *देवी और अन्य (10),* (इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एकल पीठ का निर्णय), अब्दुल सत्तार *बनाम बिहार* राज्य *और अन्य (11) ;पटना उच्च* न्यायालय का एकल पीठ का निर्णय), क्षेत्र मोहन सरकार *बनाम परन चंद्र* मंडल, *(12), और थोकचोम* खोयों सिंह *बनाम मोइरांगमो.यून बीरा* सिंह *और एक अन्य*ए *(13),* *गुहाटी उच्च न्यायालय के दोखण्ड पीठ के निर्णय* के अनुसार हैं।*(7),* 1978 वर्तमान विधि पत्रिका (क्र.) पीबी., और हरियाणा 108।*(8),ए, आई,आर, 1978 एस, सी 333*

Puran v. Kapoora and others >(M. M. Punchhi, J.)

(9) 1977 क्र. एल. जर्नल 2032।
(10) 1977 क्र. एल. जर्नल 453।
(11) 1979 क्र. एल. जर्नल 389।
(12.) 1978 क्र. एल. जर्नल 936।
(13) 1978 क्र. एल. जर्नल 1511।

गुवाहाटी 161।चंडी प्रसाद और अन्य बनाम ओम प्रकाश कनोडिया और अन्य, (14) (इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ *का निर्णयद्ध और हकीम* सिंह और *अन्य बनाम गिरवर सिंह* और अन्य, (15) (दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ का *निर्णय) अन्य निर्णय हैं* जो *उपरोक्त इंगित किए गए* विपरीत दृष्टिकोण को जोड़ते हैं जो हमारे ध्यान में लाए गए थे।

(12) यह सब करने के लिएसबसे बडी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने **माथुरलाल** मामले निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के उनके आद्यपत्य, व पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत 1955 से पहले और बाद में कैसे थे, और अब नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता,1973 के तहत कैसे खडे है, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि– बनाम भंवरलाल और *एक* अन्य, *(16) में सेथर* सुप्रीम कोर्ट ने 51 को बसाया है।धारा 145 और धारा 146 के तुलनात्मक अध्ययन के बाद, जैसा कि वे 1955 से पहले और बाद में पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत थेए और जैसा कि वे अब नई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मजिस्ट्रेट की अधिकार क्षेत्र उस बिंदु पर समाप्त नहीं होती है जब आपातकाल के आधार पर कुर्की की जाती है।यह स्पष्ट किया गया था कि नई संहिता की धारा 145 और 146 के प्रावधान काफी हद तक वही थे जो पुरानी संहिता के 1955 के संशोधन से पहले संबंधित प्रावधान थे।अब उपरोक्त मामले में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि आपातकाल के आधार पर कुर्की होते ही मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता है और एक मजिस्ट्रेट के पास उस मामले में आगे का अधिकार क्षेत्र हो सकता है जो सिविल कोर्ट को नहीं सौंपा गया है।उनके आधिपत्य का पालन किया गया—

> "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 और 14.6 मिलकर ऐसी स्थिति के समाधान के लिए एक योजना का गठन करती है जहां किसी भी भूमि या जल या उनकी सीमाओं से संबंधित विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो।यदि धारा 146 को इसकी स्थापना से अलग कर दिया जाता है और धारा145 से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है, तो इसका अर्थ यह समझा जा सकता है कि एक बार जब कोई कुर्की उसमें उल्लिखित तीन स्थितियों में से किसी में भी लागू हो जाती हैए तो विवाद का समाधान केवल एक सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, न कि कुर्की करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा।लेकिन धारा 146 अलग नहीं किया जा सकता है।इसे केवल खंड 145 के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है।प्रासंगिक निर्माण निश्चित रूप से अलगाववादी निर्माण पर हावी होना चाहिए।अन्यथा, यह मामले को गलत साबित कर सकता हैःई. ओ. एफ.> 1 आपातकालीन,/,स्थिति में,
> मजिस्ट्रेट किसी भी समय संपत्ति को कुर्क कर सकता है।

(14) 1976 क्र. एल. जे. 209
(15) 1976 क्र. एल. जे. 1915
(16) 1980 क्र. एल. जर्नल 1.

सीशन 145 (1) के तहत प्रारंभिक आदेश देना।खंड 146 में कोई स्पष्ट शर्त नहीं है कि मजिस्ट्रेट की अधिकार क्षेत्र कुर्की के साथ समाप्त हो जाती है।न ही यह निहित है।इसके अलावाए खंड 145ए उप.खंड ;4द्ध द्वारा निर्धारित जांच के साथ आगे बढ़ने का दायित्व ऐसे किसी भी निहितार्थ के खिलाफ है।कार्यवाही को रोकने और प्रारंभिक आदेश को रद्द करने का एकमात्र प्रावधान खंड 145 (5) में पाया जाता है और यह इस आधार पर हो सकता है कि अब कोई भी विवाद शांति भंग करने की संभावना नहीं रखता है।आपात स्थिति खंड 146 (1) के पहले अंग के तहत संलग्नक का आधार है और यदि कोई आपात स्थिति है, तो कोई भी यह नहीं कह सकता है कि कोई भी विवाद शांति भंग करने की संभावना नहीं

है।"

(13) उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक घोषणा पूरी तरह से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रहे विवाद का निपटारा करती है।किसी अन्य तर्क के लिए कोई जगह नहीं है।

(14) विद्वत उप.मंडल मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 145 की उप.खंड (4) के तहत जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस दिन संहिता की खंड 145 (1) के तहत प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था, उस दिन कपूरा और अन्य विवादित भूमि के भौतिक कब्जे में थे।उक्त आदेश साक्ष्य की सराहना और सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने पर आधारित है।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आधे.अधूरे मन से उन निष्कर्षों की शुद्धता को चुनौती देने की कोशिश की।उप.मंडल मजिस्ट्रेट ने मामले में पूरी तरह से जांच की और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया।वह एक विस्तृत और अच्छी तरह से लिखे गए आदेश द्वारा से अपने निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसे हमें विद्वान अधिवक्ताकार के साथ पढ़ने का अवसर मिला।खंड 401 या दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए नहीं बनाया जा सकता है।यद्यपि आदेश एक उप.मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया हैए लेकिन जिस सावधानी और चिंता के साथ यह किया गया है वह स्पष्ट रूप से एक न्यायिक न्यायालय के गुणों के साथ है।

(15) परिणामस्वरूप, यह याचिका विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

कुलवंत सिंह टिवाणा, जे..मैं सहमत हूँ।

एन के एस।

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अनश उद्येश्श के लिए सिका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्येश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator:

Pooja Rani